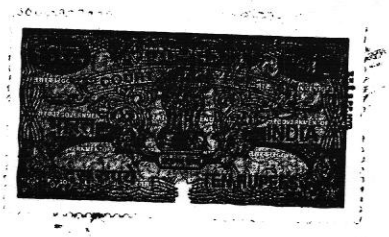

(8)

समक्ष न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल मध्य प्रदेश ग्वालियर

I/पुनर्विलोकन/जबलपुर/भू-रा/2017/1661

पुर्न अवलोकन प्रकरण । क्रमांक- ---------/2017

मध्य प्रदेश शासन

द्वारा तहसीलदार गोरखपुर, जबलपुर म.प्र. --------आवेदक

विरूद्ध

1. मुख्य गुरूमुख दास पिता भोजराज

2. चन्द्रलाल पिता भोजराज

दोनो निवासी- राईट टाऊन,

जिला-जबलपुर(मध्य प्रदेश) ------------अनावेदकगण

श्री राजीव गौतम, अभि. द्वारा आज दि. 6-6-17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 6.6.17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पुनर्विलोकन प्रकरण अंतर्गत धारा-51 मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता आवेदक माननीय न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण याचिका क्रमांक-4053-I/16 गुरूमुख दास व अन्य विरूद्ध मध्य प्रदेश शासन में पारित आदेश दिनांक-06.12.16 के संबंध में निम्नानुसार पुनर्विलोकन प्रकरण प्रस्तुत करता है:--

1. यह कि, अनावेदक द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत कर यह पक्ष रखा गया था कि ख.नं.-69/2 का 69/2=ख, एवं 69/2-क रकबा- क्रमशः 0.246 एवं 0.405 व 0.405 हैक्टेयर का नक्शा बटांक किये जाने बाबत् प्रस्तुत किया गया था जिसे निरस्त होने के उपरांत माननीय न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रकरण प्रस्तुत किया गया था।

2. यह कि, विचारण के दौरान माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण में सिलिंग प्रकरण में अतिशेष घोषित खसरा नं.-69/1 से संबंधित होने के बावजूद आदेश पारित किया गया हैं जबकि सिलिंग प्रकरण से संबंधित प्रकरण की सुनवाई का क्षेत्राधिकारी माननीय न्यायालय को नहीं हैं था । विवादित आदेश पारित करते समय उक्त महत्त्वपूर्ण विधिक तथ्य का विचारण शेष रह गया हैं।

XXXIX(a)-BR(H)-11

प्रकरण क्रमांक एक/पुनरावलोकन/जबलपुर/भू.रा./2017/1661 **जिला** – जबलपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अ... आदि के हस्ताक्षर
21.11.2017	आवेदक की ओर से श्री डी.के. शुक्ला पैनल अधिवक्ता उपस्थित। उन्हें ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। यह पुनरावलोकन इस न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक निगरानी–4053–एक/16 में पारित आदेश दिनांक 06.12.2016 के विरुद्ध दिनांक 06.06.2017 को प्रस्तुत किया गया है। 2/ आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का अवलोकन किया। किसी भी मामले का पुनरावलोकन किये जाने की परिस्थितियों का उल्लेख संहिता की धारा 51 सहपठित आदेश 47 नियम 1 व्यवहार प्रकिया संहिता में किया गया है। जिसके अनुसार किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो तत्परता के पश्चात भी पूर्व में आदेश पारित करते समय ज्ञान में नहीं था यो कोई ऐसी त्रुटि या भूल जो अभिलेख से प्रकट हो या अन्य कोई पर्याप्त कारण। पुनरावलोकन आवेदन में एक मात्र आधार यह दिया गया है कि इस न्यायालय के आदेश से नक्शा सुधार करने पर सीलिंग प्रकरण में संलग्न नक्शा व बटांक प्रभावित होगा। इस संबंध में आलोच्य आदेश को देखने से यह पाया जाता है कि उक्त आधार मान्य किये जाने योग्य नहीं हैं, क्योंकि इस न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है, उसमें यह कहा गया है कि सीलिंग प्रकरण में पटवारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन एवं स्थल निरीक्षण पंचनामा तथा नजरी नक्शा दिनांक 30.12.2009 के मुताबिक नक्शा बटांक दुरुस्त करें। इसके अतिरिक्त रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया गया है, उसके परीक्षण से जो आधार पुनरावलोकन हेतु ऊपर उल्लेखित किए गए हैं। उक्तांकित आधारों में कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है। दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है कि यह प्रकरण पुनरावलोकन के दायरे में नहीं आता और जो आदेश तत्कालीन सदस्य द्वारा पारित किया गया है, उसमें हस्तक्षेप को कोई कारण मैं नहीं पाता। परिणामतः इस पुनरावलोकन आवेदन में कोई बल न होने से यह पुनरावलोकन आवेदन अग्राह्य किया जाता है। प्रशासकीय सदस्य	